# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 278/2006</u>

श्री पदमचंद नाहटा, . . . . . आवेदक
एल.आई.जी. 80,
सेक्टर–2, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . अनावेदक
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

## :: आदेश ::

( 21 जून 2006 )

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री पदमचंद नाहटा ने दिनांक 25–11–2005 को प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ऐसी सड़कों के संबंध में जानकारी चाही थी जो कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्थानांतरित की गई हैं। आवेदन पत्र में संबंधित सड़कों की सूची, सड़कों की लंबाई, निर्माण वर्ष इनमें से लोक निर्माण विभाग किस स्तर तक काम किया। मूरम, डब्ल्यू.बी.एम. तथा प्रत्येक कार्य की लागत, सड़क की औसत चौड़ाई, किस दिनांक को सड़क स्थानांतरित हुई, उन अधिकारियों के नाम जिन्होंने सड़क निर्माण कार्य कराया। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समय–सीमा में जानकारी नहीं दी गई। प्रथम अपील के समय लोक सूचना अधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि जानकारी शीघ्र ही दी जावेगी। किन्तु प्रथम अपील के 21 दिन बाद भी जानकारी नहीं दी गई। जो जानकारी दी गई वह भी दिनांक 25–2–2000 तक स्थानांतरित सड़कों की जानकारी दी गई, उसके बाद की जानकारी नहीं दी गई। आवेदक की यह शिकायत है कि जानबूझकर उसे पूरी जानकारी नहीं दी गई। शिकायत प्राप्त होने पर सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुना गया तथा अनावेदक के उत्तर व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में सड़कों से संबंधित विस्तृत जानकारी चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–7 के अंतर्गत बनाये गये नियम 3(ख)(i) का उल्लेख किया है। इन नियमों में बतलाया गया है कि आवेदकों द्वारा प्रश्नोत्तर प्रारूप में मांगी गई जानकारी

यदि आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हों तो वे जानकारी उसी प्रारूप में दी जावेगी, परन्तु इस प्रकार तैयार कराई गई जानकारी की प्रति पृष्ठ की कीमत 100/– रूपए (सौ रूपए मात्र) होगी। जन सूचना अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि मांगी गई जानकारी आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है, अतः उसे उसके द्वारा चाहे गये प्रारूप में दिया जाना विधिसंगत नहीं है। दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक ने जो जानकारी मांगी है, वह जानकारी जनहित की है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि केवल व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी ही प्रदान की जावे। आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत है। अतः उसे निर्धारित अवधि में दिया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि अपील के समय जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को जानकारी दिये जाने का आश्वासन अपील अधिकारी को दिया था। अपील अधिकारी के निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं देना तथा नई आपत्तियाँ प्रस्तुत करने से यह प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में रूचि नहीं है। धारा–7(9) के अंतर्गत मना करने का आधार भी औचित्यपूर्ण नहीं है। यह अवश्य है कि आवेदक ने विभिन्न जिलों से संबंधित जानकारी मांगी है। यदि जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी, या पहुँच से बाहर थी तो वे आवेदक को आवेदन पत्र देने के तत्काल पश्चात् ही उक्त जानकारी आवेदक को विभाग के किस जन सूचना अधिकारी से या जिले के किस अधिकारी से प्राप्त होगी, इसकी सूचना देना चाहिए थी। जन सूचना अधिकारी ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। अतः प्राथमिक दृष्टि से जानकारी दिये जाने में विलम्ब हुआ है तथा पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। अतः जन सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत रूपए 10,000/– का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे, इसका नोटिस जारी किया जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि शेष अपूर्ण जानकारी जिस कार्यालय में है, वहां के कार्यपालन अभियंता को लिखकर वह एक माह के अंदर आवेदक को धारा–7(6) के अंतर्गत निःशुल्क दिलाई जावे। उसके पूर्व आवेदक को रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण भी कराया जावे ताकि केवल आवश्यक जानकारी ही उपलब्ध कराई जा सके।

( ए. के. विजयवर्गीय )
**राज्य मुख्य सूचना आयुक्त**